

भारत सरकार/ Government of India

जल शक्ति मंत्रालय /Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग / Department of Water Resources, RD & GR,

केन्द्रीय जल आयोग /Central Water Commission

स्थापना-V अनुभाग /Estt.V Section

3rd Floor, Sewa Bhavan
R.K.Puram, New Delhi-66

Dated: 21.05.2024

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय जल आयोग में कार्यरत फौसिया के , सहायक निर्देशक-II की संशोधित छुट्टिया निम्नानुसार मंजूर की जाती है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	छुट्टी का प्रकार	छुट्टी कब से	छुट्टी कब तक	छुट्टी दिन	बाकी छुट्टी
1.	Fousiya K	CCL (100 %)	15.05.2024	21.06.2024	38	CCL-429

प्रमाणित किया जाता है कि छुट्टी से लौटने पर उन्हें उसी पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया गया है/ किए जाने की संभावना है जहा से वे छुट्टी पर गए थे, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि वे छुट्टी पर नहीं जाते तो उसी पद पर बने रहेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय क्षापन सं :-11020/01/2017/- Estt(L) दिनांक 30.08.2019 के अनुसरण में, उपरोक्त सभी अधिकारी 100 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत वेतन के पात्र हैं ।

Nutan
21/05/2024

(नूतन राय / Nutan Ray)

अनुभाग अधिकारी/ Section officer (E-V)

☎: 3327 (Intercom)

प्रतिलिपि-

1. अनुभाग अधिकारी लेखा-3 अनुभाग, के.ज.आ., नई दिल्ली।
2. उप निदेशक, एस.एम.डी., के.ज.आ. की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।
3. संबंधित अधिकारी ।